

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO)..... मुकाम.....

बायत

..... बनाम गोपाराम कोटा

किस्म मुकदमा..... 111, 128 RLR नं..... 79 सन् 2019.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.2.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ... जगदीश जोटा ... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ... 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ... 19.3.19 को पेश हो।</p>	
19/03/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थीगिणों के नोटिस तामिल खुदा जल जिले शामिल पत्रावली बीमा गया। बीमान पीठामीन अधिकारी पुनः छापों में व्यक्त होने से मिशाल इतिहास वेचर आगामी दिनांक 09/05/19 को पेश हो।</p>	
09/05/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थीगिण का खुदा तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई। प्रार्थीगिण तब 21 उन्नी मिनट के कोई अधिकतम उपस्थित नहीं हुए। लिखित उन्ने विरुद्ध एडवाकाइ आगामी मयल है।</p>	

फारि जानी है। प्रार्थी के अधिवक्ता की संपत्ति
 बधस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बलाया
 की प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपने ध्यातेदारी धेत का
 सीमाकान करबला गमा लेकिन मोठे पर विवाह
 दोने के कारण प्रार्थी के ध्यातेदारी धेत का सही
 रूप से सिमाकान नहीं हो सका इसलिए
 बलमान में प्रार्थी के नेधमबनी करवाना प्रति
 आवश्यक है। लकिन मोठे पर प्रार्थी के ध्यातेदारी
 धेत के चारों ओर पक्के नेधम स्थापित कीये
 जा सके। इसलिए प्रार्थी का नेधमबनी क्रोडन
 स्वीकार किया जाइए नेधमबनी क्रोडन स्वीकार।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के
 निकेडन पर प्रार्थी का नेधमबनी क्रोडन स्वीकार
 किया जाइए लहलीलडा बाधु के डमिकान निरुक्त
 किया जाय है। व क्रोडन किया जाय है कि
 आप स्वयं या अपने अधिनस्थ हीमी भी शू
 क्रमिलेध निरिसु से प्रार्थी के ध्यातेदारी धेतो
 की पक्की नेधमबनी मोठे पर डमिकान बुलड जमा-
 करकर उरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त दोने पर शामिल
 पजावली हो पजावली कमल बुमाह हो। दर्ज
 नम्बर से कम हो, दायित्व दामल से।

संपत्ति अधिकारी बायडु
 जिला - बाइनेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/रा.आवे./2019/ 199

दिनांक:- 09/05/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धर्मराम पुत्र रतनाराम जाति जाट वगैरा 4 निवासी मायलों की ढाणी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. गोपाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 22 निवासी मायलों की ढाणी झाक तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 19

आदेश

मौजा मायलों की ढाणी पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 96.16 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा / बायतु / नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/रा.आवे./2019/ 200 - 2019 204

प्रार्थी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री धर्मराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री गोपाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 09/05/19

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बायतु